इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 493] भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 नवम्बर 2011—कार्तिक 25, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्र. एफ-ए-3-14-2010-1-पांच, (79).—मध्यप्रदेश विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 के नियम 8 के उपनियम (1-ख) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3 ए-19-2009-1-पांच (80) दिनांक 04 अक्टूबर 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह उपबंध करती है कि प्ररूप-ग में घोषण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन,—

(एक) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसका कुल वार्षिक टर्न ओवर 5 करोड़ रुपये से अधिक है, प्ररूप चार-क में उन संव्यवहारों की, जिनके लिए घोषणा-पत्र अपेक्षित हैं, विवरण सहित, इलेक्ट्रॉनिक रीति में, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से बेव पोर्टल में दिए गए आदेशों के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा;

(दो) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसका कुल वार्षिक टर्न ओवर 5 करोड़ रुपये तक है, प्ररूप-चार-क में उन संव्यवहारों के, जिनके लिए घोषणा-पत्र अपेक्षित हैं, विवरण सहित इलेक्ट्रानिक रीति में, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए आदेशों के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्र. एफ-ए-3-14-2010-1-पांच, (79).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-14-2010-1-पांच, (79) दिनांक 16 नवम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal the 16th November 2011

F-3-14-2010-1-V (79).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-rule (1-B) of rule 8 of the Madhya Pradesh Sales Tax (Central) Rules, 1957 and in supersession of this department's notification No. 3 A-19-2009-1-V (80), dated 4th October 2010, the State Government hereby, provides that an application for obtaining declarations in Form C,—

(i) Shall be furnished by a registered dealer, whose annual turnover is more than rupees five crores, electronically in Form IV-A, alongwith the details of transactions for which declarations are required, through the official web portal of the department in accordance with the instructions given in the web portal;

(ii) may be furnished by a registered dealer, whose annual turnover is upto rupees five crores, electronically in Form IV-A, alongwith the details of transactions for which declarations are required, through the official web portal of the department in accordance with the instruction given in the web portal;

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011